CHETANA
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor
SJIF 2026-8.584

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

भारतीय महिलाओं की भारतीय राजनीति में भूमिका

रिंकू मीणा
रिसर्च स्कॉलर
राजनीति विज्ञान विभाग, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर
Email : rinkumeena010101@gmail.com, Mobile- 7023255946

First draft received: 18.04.2026, Reviewed: 22.04.2026
Final proof received: 15.05.2026, Accepted: 23.06.2026

सार-संक्षेप

राजनीतिक सहभागिता शब्द में उन गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जिनके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। इनमें मतदान का अधिकार , चुनाव लड़ना, राजनीतिक दलों में शामिल होना, राजनीतिक सक्रियता में भाग लेना , सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करना और राजनीतिक चेतना विकसित करना शामिल है। महिलाओं के लिए, राजनीतिक सहभागिता न केवल एक लोकतांत्रिक अधिकार है, बल्कि लैंगिक समानता और सामाजिक सशक्तिकरण प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग भी है ।इंदिरा गांधी 1966 में; वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं ।मायावती , उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री, पहली दलित महिला मुख्यमंत्री।भारत में महिलाएं मतदान करती हैं, सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ती हैं और राजनीतिक दलों में शामिल होती हैं । फिर भी, उनकी समग्र भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम बनी हुई है।राजनीतिक सक्रियता और मतदान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के सबसे मजबूत क्षेत्र हैं। राजनीति में लैंगिक असमानता से निपटने के लिए , भारतीय सरकार ने स्थानीय सरकारों में सीटों के लिए आरक्षण लागू किया है ।भारत के 2014 के संसदीय आम चुनावों के दौरान , महिलाओं का मतदान प्रतिशत 65.63% था, जो पुरुषों के 67.09% मतदान प्रतिशत से थोड़ा कम था। हालांकि, एक दशक बाद, 2024 के लोकसभा चुनावों में, महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से थोड़ा अधिक रहा, जिसमें 65.8% महिलाओं ने मतदान किया, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 65.6% था।हालांकि विश्व स्तर पर प्रगति हुई है, फिर भी राजनीतिक संस्थानों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। गहरी जड़ें जमाए सामाजिक मानदंड, संरचनात्मक असमानताएं और संसाधनों तक सीमित पहुंच अभी भी उनकी पूर्ण भागीदारी में महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। भारत 183 देशों में से 143 वें स्थान पर था। हालांकि, भारतीय महिलाओं ने राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करके महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं । दशकों से, वे राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय संसद के लिए चुनी जाती रही हैं।भारत सरकार राज्य और स्थानीय सरकारों को समान वेतन, मुफ्त कानूनी सहायता, मानवीय कार्य परिस्थितियाँ, मातृत्व राहत, काम और शिक्षा के अधिकार और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के द्वारा वर्ग और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का निर्देश देती है।

मुख्य शब्दः *महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता , लैंगिक समानता , समावेशी लोकतंत्र,लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, मतदान भागीदारी.*

प्रस्तावना

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का इतिहास अत्यंत समृद्ध है, जिसकी जड़ें प्रागैतिहासिक मातृसत्तात्मक समाज और वैदिक काल की विदुषी स्त्रियों तक जाती हैं । आधुनिक भारत में, 19वीं शताब्दी के सामाजिक पुनर्जागरण और 20वीं सदी के स्वतंत्रता संग्राम ने महिलाओं को राजनीतिक चेतना प्रदान की । हालाँकि, समकालीन समय में भारत एक 'लोकतांत्रिक विरोधाभास' का सामना कर रहा है: जहाँ मतदान में महिलाओं की सक्रियता पुरुषों के बराबर पहुँच गई है, वहीं विधायी निकायों में उनका प्रतिनिधित्व अभी भी काफी कम हैं।ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और विकासस्वतंत्रता पूर्व का संघर्ष: राजनीति में वास्तविक पदार्पण 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ । श्रीमती एनी बेसेंट 1913 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनीं । 1917 में सरोजनी नायडू के नेतृत्व में मताधिकार की मांग उठाई गई । प्रारंभिक उपलब्धियाँ: 1926 में महिलाओं को प्रांतीय विधानसभा चुनाव लड़ने का अधिकार मिला, जिसके बाद डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी पहली महिला विधायक बनीं । 1937 के चुनावों में 80 महिलाएँ विधानसभाओं में चुनी गईं, जो उस समय विश्व में तीसरा स्थान था । स्वतंत्र भारत: संविधान निर्माण में लीला रे और राजकुमारी अमृत कौर जैसी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । आजादी के बाद, श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना एक बड़ी उपलब्धि थी । वर्तमान स्थिति: एक सांख्यिकीय विश्लेषणभारतीय चुनावी परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति के दो मुख्य पहलू हैं:क. मतदाता के रूप में (सकारात्मक बदलाव)पिछले छह दशकों में मतदान का लैंगिक अंतर (Gender Gap) समाप्त हो गया है । 1967 में जो अंतर 11.2% था, वह 2014 तक घटकर 1.5% रह गया । 2019 और 2024 के चुनावों में महिलाओं की मतदान दर पुरुषों के समान (लगभग 66%) रही है । ख. प्रतिनिधियों के रूप में (चुनौतीपूर्ण स्थिति)लोकसभा: 18वीं लोकसभा में केवल 74 महिला सांसद हैं (13.6%), जो 17वीं लोकसभा (14.4%) से भी कम है । यह वैश्विक औसत (26%) से काफी पीछे है । राज्य विधानसभाएँ: यहाँ प्रतिनिधित्व मात्र 9% से 10% के बीच है । स्थानीय निकाय: आरक्षण के कारण यहाँ स्थिति उज्ज्वल है, जहाँ महिलाओं की भागीदारी 44% से अधिक है ।

भारत में महिलाओं के मताधिकार का आंदोलन 1900 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप उभरा। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत , अधिकांश महिलाओं और पुरुषों को वोट देने का अधिकार नहीं था। हालाँकि, इस दौरान कुछ प्रांतीय विधानमंडलों ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया।ब्रिटिश प्रशासन के अभिलेखों के अनुसार, मद्रास 1921 में संपत्ति की मालकिन महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला राज्य बना। मताधिकार आंदोलन के जवाब में दिए गए अन्य अधिकार भी संपत्ति के स्वामित्व के साथ-साथ कई मामलों में साक्षरता पर आधारित थे, जिससे भारत की अधिकांश आबादी मतदान से वंचित रह गई।1950 में, भारत ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को शामिल किया । भारत में संसदीय प्रणाली है जिसमें दो सदन हैं: लोकसभा (निचला सदन) और राज्यसभा (ऊपरी सदन)। 1962 में लोकसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी दर 46.63% थी और 1984 में बढ़कर 58.60% हो गई। इसी अवधि के दौरान पुरुषों की भागीदारी 1962 में 63.31% और 1984 में 68.18% थी। पुरुष और महिला मतदाताओं के बीच का अंतर 1962 में 16.7% से घटकर 2014 में 1.5% हो गया।1980 के बाद से राष्ट्रीय चुनावों में मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ा है (विशेषकर महिलाओं में), लेकिन फिर भी यह 50-65% के बीच बना हुआ है। [राज्य

चुनावों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि देखी गई है, और कुछ मामलों में, महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों के मतदान प्रतिशत से अधिक रहा है। भारत ने 2019 में चुनावी इतिहास रचा जब पहली बार महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों के मतदान प्रतिशत से थोड़ा अधिक हो गया - 67.2% बनाम 67%।भारत के समृद्ध और गरीब दोनों राज्यों में मतदान में भागीदारी बढ़ रही है। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मतदाता सूचियों को साफ करके और लापता या मृत सदस्यों को हटाकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास किया है। मतदाता संपर्क में घर-घर जाकर मतदाता पंजीकरण करना शामिल है, और 2014 के चुनावों में, मतदान बढ़ाने के लिए मतदाताओं को मतदान केंद्र की जानकारी के साथ एक फोटो पहचान पत्र जारी किया गया था। ईसीआई ने कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को पंजीकरण करने और सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा में वृद्धि को भी महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का श्रेय दिया गया है

2020 से, राजनीतिक दल आय सीमा की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली महिलाओं को सीधे, बिना शर्त नकद हस्तांतरण का वादा करके महिला वोटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।नवंबर 2024 तक, भारत ने ऐसे नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.6% खर्च किया था, जिनसे 134 मिलियन महिलाओं को लाभ मिला, जो देश की लगभग पांच में से एक वयस्क महिला है। कुछ राज्यों में, कम आय वाली महिलाओं को किए जाने वाले ये नकद हस्तांतरण राज्य के बजट पर दबाव डाल रहे हैं, जैसे कि झारखंड में, जहां यह कार्यक्रम राज्य के कुल व्यय का 9.2% है। भारत में संघीय शासन प्रणाली है, जिसमें शक्तियों का हस्तांतरण हुआ है। मतदाता राष्ट्रीय संसद के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए मतदान करते हैं। 2012 में, भारत में राष्ट्रीय संसद में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का न्यूनतम प्रतिशत 10.9% था, जो हंगरी (8.8%), ब्राजील (9.6%), चीन (9.1%) और मलेशिया (9.8%) की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। राजनीतिक भागीदारी के व्यापक माप में चुनाव लड़ने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या शामिल है। विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक अध्ययन के अनुसार, जो इस तरह के व्यापक पैमाने पर विचार करता है, भारत कई वर्षों से विश्व स्तर पर शीर्ष 20 देशों में स्थान रखता है, और 2013 में 9वें स्थान पर रहा - यह स्कोर डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की तुलना में भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक भागीदारी को दर्शाता है।महिला मतदाताओं की कम भागीदारी को दूर करने के लिए, भारत ने 1994 में संवैधानिक संशोधनों (73वें और 74वें) के माध्यम से स्थानीय सरकारों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए कोटा (आरक्षण) स्थापित किया। महिला आरक्षण विधेयक (108वां संशोधन) राष्ट्रीय संसद में पेश किया गया है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी।यह विधेयक अभी तक लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ है और कानून के रूप में हस्ताक्षरित नहीं हुआ है। इसी तरह का एक विधेयक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम , 2023 में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, और अब भारत की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति के लिए लंबित है।महिलाओं के लिए आरक्षण पर चर्चा 1920 के दशक में शुरू हुई। यह 1930 के दशक तक जारी रही जब तक कि ब्रिटेन के साथ शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को मतदान करने की अनुमति देने के लिए एक समझौता नहीं हो गया। महिलाओं के लिए आरक्षण पर चर्चा 1974 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा फिर से शुरू की गई , लेकिन भारत ने 1994 तक स्थानीय सरकार में कोटा पूरी तरह से स्थापित नहीं किया। भारत में स्थानीय शासी निकायों को पंचायती राज संस्थाएँ (पीआरआई) कहा जाता है, और एक तिहाई सीटें और नेतृत्व पद महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए। आंध्र प्रदेश , बिहार , छत्तीसगढ़ , झारखंड , केरल, महाराष्ट्र , उड़ीसा , राजस्थान , त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया है। राष्ट्रीय सरकार ने भी पीआरआई में आरक्षण का स्तर बढ़ाकर 50% करने का प्रस्ताव रखा है।

महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को बारी-बारी से आवंटित किया जाता है ताकि प्रत्येक सीट के आरक्षित होने का समान अवसर सुनिश्चित हो सके। महिला आरक्षण की स्थापना के बाद, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी 4-5% से बढ़कर 25-40% हो गई, और लाखों महिलाओं को स्थानीय सरकार में नेता के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। ओडिशा , एक भारतीय राज्य, ने 73वें संशोधन से पहले आरक्षण स्थापित किया था और 1992 में वहाँ 28,069 महिलाएँ और 1997 में 28,595 महिलाएँ निर्वाचित हुईं। वर्ग भेद इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि पंचायतों में गरीब महिलाओं की उपस्थिति बढ़ रही है, लेकिन उच्च वर्ग की महिलाएँ अध्यक्ष (सरपंच) के रूप में चुनी जा रही हैं। निर्वाचित पदों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए महिलाओं को तैयार करने में प्रशिक्षण का मुद्दा एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन गया है। तमिलनाडु में यह पाया गया कि महिलाओं में पंचायतों की प्रक्रियाओं को समझने के लिए शिक्षा-प्रशिक्षण की कमी है।

सरकार में महिलाओं की भागीदारी में परिवार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पारिवारिक प्रभाव, निर्वाचित महिला अधिकारियों के लिए संपर्कों के मामले में बाधा या समर्थन प्रणाली दोनों का काम कर सकता है। पारिवारिक संबंध महिलाओं को राष्ट्रीय और स्थानीय सरकार दोनों स्तरों पर निर्वाचित पदों के लिए प्रयासरत होने में मदद कर सकते हैं। परिवार के पुरुष सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में महिलाओं की भूमिका पर चिंता व्यक्त की गई है, लेकिन नीतिगत निर्णयों पर महिलाओं का अभी भी महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रभाव से जल और सड़कों सहित सार्वजनिक वस्तुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। पेयजल और सड़क सुधार ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें निर्वाचित महिला अधिकारी सबसे अधिक बार उठाती हैं। पुरुषों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे सड़कें, सिंचाई, शिक्षा और जल हैं। महिलाएं हिंसा, बाल देखभाल और मातृ स्वास्थ्य जैसे कल्याणकारी मुद्दों को भी ध्यान में ला सकती हैं।

राजनीतिक सक्रियतावाद

भारत में महिला संगठनों का उदय सर्वप्रथम 1900 के दशक के आरंभ में और बाद में 1970 के दशक में हुआ, जबकि 1950 से 1970 के दशक तक इनकी गतिविधियाँ सीमित रहीं।सबसे प्रारंभिक महिला संगठनों में से एक, भारत स्त्री महामंडल , का गठन 1910 में हुआ और इसका उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना था। पारंपरिक रूप से महिला संघों की शुरुआत पुरुषों की सहायता से होती थी, जिससे कुछ ही महिलाओं को काम और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता था, जबकि पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं का विस्तार सीमित था।1927 में, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (एआईडब्ल्यूसी) का गठन महिलाओं की शिक्षा की वकालत करने के लिए किया गया था और इसने 1952 से 1960 के बीच हिंदू संहिता विधेयकों को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई और स्वतंत्रता के समर्थन में विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक सभाएँ आयोजित कीं।किसान रैली में महिलाएं 1970 के दशक में नारीवाद की नई लहर भारत में लैंगिक असमानता और विकास की धीमी गति के जवाब में उठी थी।भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति ने 1974 में एक रिपोर्ट जारी की, जिसका लैंगिक समानता के लिए सक्रियता के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। रिपोर्ट ने भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच महत्वपूर्ण अंतरों को उजागर किया, जिसमें लिंग अनुपात , मृत्यु दर, रोजगार , साक्षरता और वेतन भेदभाव में असमानता शामिल है। रिपोर्ट ने भारत में महिलाओं के प्रति जारी भेदभाव को दर्शाते हुए महिला आंदोलन को बल दिया। लैंगिक असमानता महिला आंदोलन का केंद्र बिंदु बनी हुई है, जिसमें समान नागरिक संहिता, महिला आरक्षण विधेयक और महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया है । भारत में ग्रामीण, शहरी, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अनौपचारिक और औपचारिक दोनों प्रकार के महिला संगठन विकसित हुए हैं। भारत में महिला संगठन पर्यावरण, गरीबी, सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे विभिन्न मुद्दों को संबोधित करते हैं।भारत में सबसे प्रमुख महिला संगठनों में से एक एआईडब्ल्यूसी है, जिसकी स्थापना 1927 में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने और शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए की गई थी। एआईडब्ल्यूसी के भारत में 100,000 से अधिक सदस्य और 500 शाखाएँ हैं, और इसने शारदा अधिनियम , मातृत्व लाभ अधिनियम और हिंदू संहिता विधेयकों को पारित कराने में मदद की है।भारतीय महिलाएं जमीनी स्तर पर सक्रियता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 1970 के दशक में उभरा चिपको आंदोलन भारत में महिला आंदोलन की सफलता का एक उदाहरण है, क्योंकि महिलाओं ने उत्तराखंड में वनों की कटाई का विरोध किया , जिससे क्षेत्र का संरक्षण हुआ।भारतीय स्वतंत्रता के बाद से, महिला संगठनों ने महिलाओं के प्रति हिंसा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। महिला आंदोलनों ने बलात्कार, महिला मृत्यु दर, कन्या भ्रूण हत्या , दहेज हत्या, सती प्रथा और घरेलू दुर्व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया है । 1972 में मथुरा बलात्कार कांड , 1979 में तरविंदर कौर की दहेज हत्या, 1987 में सती प्रथा से रूप कंवर की मृत्यु, 1992 में भंवरी देवी के साथ सामूहिक बलात्कार और 2012 में नई दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड

जैसी त्रासदियों ने आंदोलन को बलात्कार पर केंद्रित रखा है और स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई महिला संगठनों को जन्म दिया है।महिलाओं के संवैधानिक अधिकार

:भारत का संविधान संसदीय शासन प्रणाली स्थापित करता है जो सभी नागरिकों को मतदान करने, पद धारण करने, बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता और संघ बनाने के अधिकार की गारंटी देता है। संविधान लिंग, वर्ग, मानव तस्करी और जबरन श्रम के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और यह अनिवार्य करता है कि निर्वाचित पद महिलाओं के लिए आरक्षित हों।भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एक प्रमुख लोकतांत्रिक विरोधाभास को उजागर करती है। चुनावी भागीदारी में वृद्धि आनुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व या निर्णय लेने की शक्ति में तब्दील नहीं हुई है । यह अंतर संरचनात्मक बाधाओं और सार्थक सुधारों की आवश्यकता की ओर लगातार ध्यान आकर्षित करता है।

भारत में मतदान के मामले में लैंगिक समानता लगभग हासिल हो चुकी है, लेकिन संरचनात्मक, संस्थागत और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं के कारण विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है।

इस अंतर को पाटने के लिए आरक्षण नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन, पार्टी स्तर पर सुधार और निर्णय लेने में महिलाओं की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बाधाओं को दूर करना आवश्यक है।

•भारतीय राजनीति में महिलाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

मतदाताओं के रूप में: पिछले छह दशकों में, मतदान में लैंगिक अंतर लगातार कम हुआ है , जो भारत के चुनावी परिदृश्य में एक गहन परिवर्तन का संकेत देता है।

1967 के लोकसभा चुनाव में , पुरुषों का मतदान प्रतिशत 66.7% और महिलाओं का मतदान प्रतिशत 55.5% था , जो 11.2% अंकों का अंतर था , जो कम साक्षरता और सीमित गतिशीलता जैसी संरचनात्मक बाधाओं के कारण 1971 में थोड़ा बढ़कर 11.8 अंक हो गया। समय के साथ, शिक्षा, जागरूकता, राजनीतिक पहुंच और गतिशीलता में सुधार के साथ , यह अंतर लगातार कम होता गया और 2014 तक लगभग 1.5 प्रतिशत अंक तक पहुंच गया । 2019 और 2024 दोनों आम चुनावों में , महिलाओं ने पुरुषों के लगभग समान दर से मतदान किया (लगभग 66%)। 1980 के दशक से लेकर अब तक हुए कई राज्य विधानसभा चुनावों में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुष मतदाताओं की भागीदारी से भी अधिक रही है।

राजनीतिक अभियान: हालांकि पुरुषों और महिलाओं के बीच मतदान लगभग बराबर हो गया है, फिर भी अभियान स्तर पर भागीदारी में लैंगिक अंतर दिखाई देता है ।

2009 और 2024 के बीच , चुनावी सभाओं और रैलियों में महिलाओं की उपस्थिति 9% से बढ़कर लगभग 16% हो गई , जबकि जुलूसों और घर-घर जाकर प्रचार करने में भागीदारी 5-6% से बढ़कर लगभग 11% हो गई , फिर भी पुरुषों की भागीदारी लगभग दोगुनी बनी हुई है।

प्रतिनिधि के रूप में: रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने के बावजूद, महिलाएं बड़े पैमाने पर सत्ता के गलियारों से बाहर बनी हुई हैं।

18 वीं लोकसभा में केवल 74 महिला सांसद हैं (543 सीटों में से 13.6%) । यह 17 वीं लोकसभा की तुलना में गिरावट है , जिसमें 78 महिला सांसदों (14.4%) के साथ अब तक का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व दर्ज किया गया था। भारत के आंकड़े वैश्विक औसत लगभग 26% से कम हैं।

Table 1 : Women representation in Lok Sabha (1951-2024)

Number	Year	In Number	In percentage
1th	1951	22	5%
2nd	1957	22	5%
3rd	1962	31	6%
4th	1967	29	6%
5th	1971	28	5%
6th	1977	19	4%
7th	1980	28	5%
8th	1984	43	8%
9th	1989	29	6%
10th	1991	39	7%
11th	1996	40	7%
12th	1998	43	8%
13th	1999	49	9%
14th	2004	45	8%
15th	2009	59	11%
16th	2014	65	12%
17th	2019	78	14%
18th	2024	74	13.6%

Sourcer : Election Commission of India

Table 2: Women Representation in Rajya Sabha (1952-2024)

Year of Election	In Numbers	In Percentage
1952	15	6.9%
1954	17	7.8%
1956	20	8.6%
1958	22	9.5%
1960	24	10.2%
1962	18	7.2%
1964	21	8.9%
1966	23	9.8%
1968	22	9.6%
1970	14	5.8%
1972	18	7.4%
1974	18	7.5%
1976	24	10.1%
1978	25	10.2%
1980	29	12%
1982	24	10.1%
1984	24	10.3%
1986	28	11.5%
1988	25	10.6%
1990	24	10.3%
1992	17	7.2%
1994	2	8.3%
1996	19	7.8%
1998	19	7.7%
2000	22	9%
2002	25	10.2%
2004	28	11.4%
2006	25	10.2%
2008	24	9.8%
2010	27	11%
2012	26	10.6%
2014	31	12.7%

2016	**27**	**11%**
2018	**28**	**11.4%**
2020	**25**	**10.2%**
2022	**29**	**12%**
2024	**31**	**13%**

राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व निराशाजनक रूप से 9% से 10% के आसपास बना हुआ है। जमीनी स्तर पर सकारात्मक पहलू बना हुआ है, जहां पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के तहत आरक्षण प्रावधानों द्वारा समर्थित स्थानीय स्वशासन संस्थानों में महिलाओं की प्रतिनिधि संख्या 44% से अधिक है । महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को कौन सी बाधाएं सीमित करती हैं?

°संस्थागत और संरचनात्मक बाधाएं: राजनीतिक दल प्रमुख अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं और अक्सर "जीतने की क्षमता" का हवाला देते हुए महिलाओं को टिकट देने से इनकार करते हैं , इसके बावजूद कि इस बात के प्रमाण हैं कि महिला उम्मीदवारों की सफलता दर अक्सर तुलनीय या उससे अधिक होती है।

उम्मीदवारों का चयन और पार्टी संबंधी निर्णय पुरुष-प्रधान अनौपचारिक नेटवर्क के भीतर होते हैं, जिससे नेतृत्व की भूमिकाओं तक महिलाओं की पहुंच सीमित हो जाती है। निर्वाचित होने पर भी, महिलाओं को अक्सर गृह मामलों या रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों के बजाय "नरम मंत्रालय" (जैसे, महिला एवं बाल विकास, संस्कृति) सौंपे जाते हैं।

आर्थिक बाधाएं: चुनावी राजनीति अत्यधिक पूंजी-प्रधान है , जिससे महिलाओं के लिए नुकसान की स्थिति पैदा होती है, जिनकी आमतौर पर संपत्ति, धन और चुनाव प्रचार के वित्तपोषण तक कम पहुंच होती है । राजनीतिक चंदा देने वाले नेटवर्क और चुनावी अभियानों का समर्थन करने वाले व्यावसायिक वित्तपोषण समूहों से महिलाओं को अक्सर बाहर रखा जाता है ।

सामाजिक-सांस्कृतिक और पितृसत्तात्मक बाधाएं: पितृसत्तात्मक मानदंड समाज को सार्वजनिक (पुरुष) और निजी (महिला) क्षेत्रों में विभाजित करना जारी रखते हैं , जिससे महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने से हतोत्साहित किया जाता है अवैतनिक देखभाल कार्य और घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ राजनीतिक गतिविधियों के लिए समय सीमित कर देता है। कुछ मामलों में, परोक्ष प्रतिनिधित्व होता है (जैसे, सरपंच पति की प्रथा), जहां पुरुष रिश्तेदार निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रभावित या नियंत्रित करते हैं।

प्रतिकूल राजनीतिक वातावरण: राजनीति में हिंसा, धमकी और अपराधीकरण की मौजूदगी महिलाओं की भागीदारी को हतोत्साहित करती है। महिला राजनेताओं को अक्सर लैंगिक हमलों, चरित्र हनन और ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है , जिसमें धमकियां और डिजिटल दुर्व्यवहार शामिल हैं, जो राजनीतिक भागीदारी के लिए मनोवैज्ञानिक बाधाएं पैदा करते हैं।

क्षमता और राजनीतिक गतिविधियों में कमी: महिलाओं को अक्सर छात्र संघों और कार्यकर्ता नेटवर्क जैसी पारंपरिक राजनीतिक गतिविधियों से बाहर रखा जाता है, और मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रशिक्षण की कमी उनकी राजनीतिक क्षमता को सीमित करती है, जिससे कभी-कभी शासन में पुरुष रिश्तेदारों पर निर्भरता पैदा होती है। चुनावी प्रणाली और पदस्थ नेताओं के लिए बाधाएं: फर्स्ट -पास्ट-द-पोस्ट (एफपीटीपी) चुनावी प्रणाली पार्टियों को "सुरक्षित" उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो आमतौर पर मजबूत स्थानीय नेटवर्क वाले पुरुष मौजूदा नेता होते हैं।

चूंकि अधिकांश सीटें पहले से ही पुरुषों के पास हैं, इसलिए मौजूदा पदाधिकारी होने का लाभ नए उम्मीदवारों के लिए अवसरों को और सीमित कर देता है, जिससे चुनाव लड़ने और जीतने की महिलाओं की संभावनाओं पर असमान रूप से प्रभाव पड़ता है।

•भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या पहलें की जा रही हैं?

स्थानीय शासन के लिए संवैधानिक प्रावधान: 73 वें और 74वें संवैधानिक संशोधन (1992) ने पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया । 20 से अधिक राज्यों (जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, केरल और गुजरात) ने कोटा बढ़ाकर 50% कर दिया है । परिणामस्वरूप, भारत में अब स्थानीय स्तर पर 14 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023: संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है । इसका कार्यान्वयन 2027 की जनगणना और परिसीमन के बाद शुरू होगा और यह प्रावधान 15 वर्षों तक लागू रहेगा ।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की पहल: एसवीईईपी (व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी) कार्यक्रम लक्षित अभियानों के माध्यम से जागरूकता को बढ़ावा देता है और महिलाओं की मतदान भागीदारी को बढ़ाता है।

आरामदायक और सुरक्षित मतदान वातावरण बनाने के लिए पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित "सखी" या गुलाबी मतदान केंद्रों की शुरुआत की गई है । विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान पहली बार मतदान करने वाली महिला मतदाताओं और विवाह के बाद प्रवास करने वाली महिलाओं पर केंद्रित होते हैं।

क्षमता निर्माण और नेतृत्व प्रशिक्षण: पंचायती राज मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये कार्यक्रम शासन, वित्तीय प्रबंधन और विधायी प्रक्रियाओं में कौशल विकसित करते हैं राजनीतिक दल स्तर की पहल: कुछ दलों ने स्वेच्छा से उम्मीदवारों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया है। उदाहरण के लिए, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और बीजू जनता दल (बीजेडी) जैसी पार्टियों ने चुनावों में महिलाओं को 33% या उससे अधिक टिकट आवंटित किए हैं ।

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की भूमिका: आजीविका मिशनों के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह नेतृत्व विकास के लिए मंच के रूप में कार्य करते हैं। स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी से वित्तीय स्वतंत्रता, सार्वजनिक भाषण कौशल और सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है , जिससे महिलाओं को स्थानीय राजनीति में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

•महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं?

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 में कानूनी संशोधन: राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता को महिलाओं के लिए लागू करने योग्य आंतरिक दलीय कोटा पर सख्ती से निर्भर बनाना । पार्टियों को अपने संगठनात्मक पदों (संसदीय बोर्ड, केंद्रीय चुनाव समितियां) में से कम से कम 33% पद महिलाओं के लिए आवंटित करने होंगे। चुनावी भ्रष्टाचार की कानूनी परिभाषा को अद्यतन किया जाना चाहिए। महिला उम्मीदवारों की छवि खराब करना , लिंग-आधारित डीपफेक का इस्तेमाल और डिजिटल माध्यम से महिला-द्वेष को हथियार बनाकर उसका दुरुपयोग करना, इन सभी को स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप दोषी उम्मीदवार को तत्काल अयोग्य घोषित किया जा सके। दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का पुनरुद्धार: भारत ने 1952 और 1957 के चुनावों में दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का सफलतापूर्वक उपयोग किया। एकल-सदस्यीय आरक्षित सीटों के रोटेशन के बजाय, चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्र दो प्रतिनिधियों - एक पुरुष और एक महिला - का चुनाव कर सकते हैं। इससे पार्टियों को हर क्षेत्र में स्थापित पुरुष नेताओं को विस्थापित किए बिना महिला नेतृत्व विकसित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सटीक वित्तीय इंजीनियरिंग: चुनाव आयोग लिंग के आधार पर चुनावी खर्च की सीमा में संशोधन कर सकता है।

यदि चुनावी ट्रस्टों और कॉर्पोरेट दानदाताओं का दान विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों या महिला राजनीतिज्ञों के लिए क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किया जाता है, तो उन्हें बढ़ी हुई कर छूट दी जा सकती है। कानूनी रूप से "प्रतिनिधि" (सरपंच पति) की प्रथा को समाप्त करना: ग्राम पंचायत निधि के लिए आधार-लिंक्ड बायोमेट्रिक प्राधिकरण को अनिवार्य करके जमीनी स्तर के प्रतिनिधित्व को मजबूत किया जा सकता है , यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल निर्वाचित महिला प्रतिनिधि ही वित्तीय नियंत्रण का प्रयोग करे, जिससे पुरुष रिश्तेदारों द्वारा प्रतिनिधि शासन को रोका जा सके।

छाया मंत्रिमंडलों को औपचारिक रूप देना: विपक्ष को "छाया मंत्रिमंडल" प्रणाली (जो ब्रिटेन में आम है) को संस्थागत रूप देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

शीर्ष छाया विभागों में महिलाओं को अनिवार्य रूप से नियुक्त करने से उन्हें सदन में वित्त और रक्षा पर बहस करने की अनुमति मिलती है, जिससे गंभीर प्रशासकों के रूप में उनकी दृश्यता और सार्वजनिक विश्वसनीयता का निर्माण होता है।

निष्कर्ष

भारत में महिलाएं मूक मतदाता होने से आगे बढ़कर सक्रिय राजनीतिक भागीदार बन गई हैं , जो जमीनी स्तर पर मजबूत लोकतंत्र को दर्शाता है। हालांकि, वास्तविक प्रगति के लिए केवल मतदान तक सीमित न रहकर अधिक प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करना आवश्यक है । इसके लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन, पार्टी स्तर पर सुधार और संरचनात्मक एवं पितृसत्तात्मक बाधाओं को दूर करना अनिवार्य है, जिससे समावेशी शासन और एक विकसित भारत के लिए महिलाओं का नेतृत्व आवश्यक हो जाता है ।लैंगिक समानता पर किसी भी चर्चा के लिए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक आंदोलन और नारीवादी आंदोलनों जैसी गैर-पारंपरिक राजनीति तक ही सीमित रही है। लेकिन, पारंपरिक चुनावी राजनीति में उनकी भागीदारी अनुपातहीन रही है, जिसके कारण वे राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका से वंचित रही हैं। महिलाओं की अपर्याप्त राजनीतिक भागीदारी के मुख्य कारण पितृसत्तात्मक और सांस्कृतिक बंधन, राजनीति का अपराधीकरण, आर्थिक पिछड़ापन, चुनावी राजनीति में प्रवेश की उच्च लागत और निम्न सामाजिक सम्मान रहे हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी उस सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश से भी प्रभावित होती है जिससे वे संबंधित हैं। वर्ष 1991 आर्थिक उदारीकरण और योग्यता-आधारित व्यवस्था की शुरुआत का प्रतीक था, जिसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद की और प्रतिमान महिला विकास से महिला सशक्तिकरण की ओर स्थानांतरित हो गया। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने जमीनी स्तर की राजनीति में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संदर्भ ग्रंथ

प्रवीण, राय (2011) "भारत में महिलाओं की चुनावी भागीदारी: प्रमुख निर्धारक और बाधाएँ"।

भारतीय मताधिकार अभियानकर्ता और भारत में महिलाओं ने मताधिकार कैसे प्राप्त किया" । द फॉसेट सोसाइटी ।

मिश्रा, एच.एन. (2009). भारत सरकार अधिनियम 1919, उसके अंतर्गत नियम और सरकारी रिपोर्ट।

भारत सरकार द्वारा 2024 के आम चुनावों में राज्यवार मतदान प्रतिशत।

रुक्मिणी, एस (2013)"मतदान में वृद्धि के पीछे कौन है?" । द हिंदू।

भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की 2023 की रिपोर्ट। https://mospi.gov.in/sites/default/files/reports_and_publication/statistical_publication/Women_Men/mw23/CompetePublication_WM2023.pdf

भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस विज्ञप्ति। https://elections24.eci.gov.in/docs/BnS4hhbvK9.pdf

Asthana, P.: Women's Movement in India, Vikas Publishing House Delhi,

1974.

Bhoite Anuradha Women Employees and Rural Development Problems of

Employed Women in Rural Areas, Gyan Books Pvt Ltd.. New Delhi, 1987

Bose, Moni Mohan: Female Education in India, B. B. Gupta publication,

Kanpur, 1921.

Chakrapant, C. Kumar S. Vijaya: Changing Status and Role ofWomen in

Indian Society, M.D. Pub., New Delhi, 1994.

Chaturvedi, Women Administration in India: A Study of the Socio-

economic Background, RBSA Publication, Jaipur, 1985.